

कार्यालय :- जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी
जिला-कटनी (म0प्र0)

::: संशोधित दाण्डिक कार्य विभाजन- विविध आदेश :::

(भाग-1)

क्रमांक/क्यू/सी0जे0एम0/2025

कटनी, दिनांक-21.08.2025

मैं, जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कटनी के निर्देशानुसार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 13(2) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वर्ष 2025 के लिये पूर्व में जारी दाण्डिक कार्य विभाजन संबंधी समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए वर्ष 2025 हेतु निम्नलिखित दाण्डिक कार्य विभाजन आदेश जारी करता हूँ:-

क्र.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम एवं पद	दाण्डिक कार्य विभाजन का विवरण
01.	जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी (म0प्र0)	- आरक्षी केंद्र माधवनगर एवं यातायात, जिला-कटनी से उद्भूत समस्त दांडिक प्रकरण एवं कार्यवाहियां (उपरोक्त आरक्षी केंद्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर तथा उपरोक्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों को छोड़कर) - तहसील विजयराघवगढ़, बरही एवं ढीमरखेड़ा को छोड़कर जिला कटनी के अन्तर्गत नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण, तेजाब फेंकने वाले समस्त प्रकरण, दुकान स्थापना अधिनियम 1916 के तहत प्रस्तुत प्रकरण, सिनेमेटोग्राफी एक्ट एवं कॉपीराईट एक्ट के तहत प्रकरण, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के तहत उद्भूत प्रकरण। - आबकारी विभाग के वृत्त कटनी क.-1, कटनी क.-2, कटनी क.-3 से उद्भूत समस्त प्रकरण तथा श्रम विभाग, खाद्य विभाग, एवं कारखाना विभाग, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी कटनी एवं नगर निगम कटनी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण। - कटनी जिले से उद्भूत खनिज विभाग, जिला-कटनी (विजयराघवगढ़, ढीमरखेड़ा एवं बरही तहसील को छोड़कर) द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण। (खनिज विभाग से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)। - आरक्षी केंद्र माधवनगर जिला-कटनी के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियां। - धारा 450 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन


(जयप्रताप चिडार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

		पत्र।
		7. क्षमादान से संबंधित आवेदन पत्र एवं जिले के बाहर के न्यायालयों से प्राप्त कमीशन के निष्पादन की कार्यवाहियां।
		8. ऐसे प्रकरण जो अन्य मजिस्ट्रेट के न्यायालय से इस न्यायालय को आहरित किये जाये या वरिष्ठ न्यायालयों द्वारा इस न्यायालय को अंतरित किये जाये।
02.	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र कुठला, जिला-कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपापण/रिमाण्ड योग्य समस्त पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियाँ। <u>(उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> एवं आबकारी विभाग से उद्भूत ऐसे प्रकरण जो <u>आबकारी वृत्त बहोरीबंद एवं स्लीमनाबाद</u> से संबंधित हैं, सभी मामले व अनुषंगिक कार्यवाही। 2. <u>आरक्षी केन्द्र कुठला, जिला-कटनी</u> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल हैं। 3. कटनी जिले से उद्भूत <u>वन विभाग, जिला-कटनी (विजयराघगढ, ढीमरखेडा एवं बरही तहसील को छोड़कर)</u> द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण। (उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)। 4. <u>आरक्षी केन्द्र कुठला, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 5. <u>आरक्षी केन्द्र कुठला, जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियाँ। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
03.	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर जिला कटनी के <u>आरक्षी केन्द्र कुठला, रंगनाथनगर, बडवारा, जी0आर0पी0, रीठी, बहोरीबंद, बाकल, अजाक, कोतवाली, एन.के.जे., स्लीमनाबाद माधवनगर एवं महिला थाना जिला कटनी (ऐसे प्रकरण जो विशेष न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य न हो)</u> में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित मामले एवं उक्त आरक्षी केंद्रों से उत्पन्न ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

		एवं अन्य कार्यवाहियों, साथ ही समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है एवं उपरोक्त आरक्षी केंद्रों के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 से संबंधित मामले (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता के मामलों को छोड़कर) तथा आरक्षी केंद्र महिला थाना के उद्भूत समस्त धारा 125 लगायत 128 दंप्रसं नवीन धारा 144 लगायत 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के मामलों (फैमिली कोर्ट की अधिकारिता के मामलों को छोड़कर) की सुनवाई की जावेगी।
		2. जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र कुठला, रंगनाथनगर, बडवारा, जी०आर०पी०, रीठी, बहोरीबंद, बाकल, अजाक, कोतवाली, एन.के.जे., स्लीमनाबाद माधवनगर एवं महिला थाना जिला कटनी (विजयराघवगढ़ व ढीमरखेड़ा तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर) में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित मामले से उत्पन्न पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ।
		3. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र महिला थाना, जिला- कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। <u>(उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u>
		4. आरक्षी केन्द्र <u>महिला थाना, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है।
		5. आरक्षी केन्द्र <u>महिला थाना, जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ।
		6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
04.	श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म०प्र०)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
05.	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म०प्र०)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी., जिला-कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। <u>(उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम</u>

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (म.प्र.)

		<u>न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> 2. आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी., जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 3. आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी., जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है। 4. आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली (कटनी) एवं जी.आर.पी., जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
06.	श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (MOPRO)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र एन.के.जे., जिला-कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। <u>(उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों को छोड़कर)</u> 2. आरक्षी केन्द्र <u>एन.के.जे., जिला-कटनी</u> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है। 3. आरक्षी केन्द्र <u>एन.के.जे., जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 4. आरक्षी केन्द्र <u>कोतवाली, माधवनगर, कुठला, रंगनाथनगर, एन.के.जे., जी.आर.पी., स्लीमनाबाद, रीठी, बड़वारा, बहोरीबंद, बाकल, जिला कटनी</u> से उद्भूत <u>परकाम्य लिखत अधिनियम</u> के समस्त मामले। 5. धारा 138 परकाम्य लिखत अधिनियम के ऐसे मामले जो न्यायालय रिक्त हो गये हैं या किसी अन्य न्यायालय में क्षेत्राधिकारिता नहीं है, के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 6. आरक्षी केन्द्र <u>एन.के.जे., जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ।

(जयप्रताप विडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (न.प्र.)

		7. जिला मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी/अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न वे समस्त दाण्डिक/न्यायिक कार्य, जो संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट को कार्य विभाजन आदेश में वर्णित नहीं हैं, उक्त सभी मामले। 8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
07.	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र बड़वारा, जिला-कटनी</u> (तहसील विजयराघवगढ़ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपापण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 2. <u>आरक्षी केन्द्र बड़वारा एवं माधवनगर, जिला-कटनी</u> (तहसील विजयराघवगढ़ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल हैं। 3. <u>आरक्षी केन्द्र बड़वारा जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 4. <u>आरक्षी केन्द्र अजाक (उन मामलों को छोड़कर जो आरक्षी केन्द्र अजाक में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही घटित हो सकते हैं, से संबंधित मामले से उत्पन्न पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ तथा जो माननीय विशेष न्यायालय द्वारा विचारणीय है।)</u> के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 5. <u>आरक्षी केन्द्र बड़वारा एवं माधवनगर, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
08.	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र बाकल, जिला-कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपापण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 2. <u>आरक्षी केन्द्र बाकल, जिला-कटनी</u> से उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

		उद्भूत मामले भी शामिल है। 3. <u>आरक्षी केन्द्र बाकल, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 4. <u>आरक्षी केन्द्र बाकल, जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है</u>, के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
09.	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र रीठी</u> (तहसील विजयराघवगढ़ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) से उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 2. <u>आरक्षी केन्द्र रीठी</u> (तहसील विजयराघवगढ़ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम को छोड़कर) के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है। 3. <u>आरक्षी केन्द्र रीठी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 4. <u>आरक्षी केन्द्र रीठी, जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है</u>, के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
10.	श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र स्लीमनाबाद एवं रंगनाथनगर, जिला-कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दांडिक प्रकरण, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 2. तहसील/जिला कटनी के <u>आरक्षी केन्द्र कोतवाली, माधवनगर, कुठला, एन.के.जे., रंगनाथनगर</u> से उद्भूत ऐसे समस्त मामले, जिनमें ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 के तहत <u>न्यायाधिकारी, ग्राम न्यायालय कटनी</u> को क्षेत्राधिकार हासिल है, के आपराधिक प्रकरणों, उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस स्तगासा से संबंधित समस्त आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 3. <u>आरक्षी केन्द्र स्लीमनाबाद एवं रंगनाथनगर, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा

(जयप्रताप धिंडर)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

		जारी किया गया हैं, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 4. आरक्षी केन्द्र <u>स्लीमनाबाद एवं रंगनाथनगर, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है। 5. आरक्षी केन्द्र <u>स्लीमनाबाद एवं रंगनाथनगर, जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 6. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
11.	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र बहोरीबंद, जिला-कटनी</u> से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपापर्ण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 2. <u>आरक्षी केन्द्र, बहोरीबंद, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट इस न्यायालय द्वारा जारी किया गया हैं, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 3. आरक्षी केन्द्र <u>बहोरीबंद, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल है। 4. आरक्षी केन्द्र <u>बहोरीबंद, जिला-कटनी</u> के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले <u>स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है,</u> के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 5. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
12.	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
13.	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
14.	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
15.	श्रीमती विजयश्री सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बरही, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र बरही, जिला-कटनी (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर)</u> से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपापर्ण/ रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण,

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (म.प्र.)

		खात्मा आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों एवं घरेलू हिंसा अधिनियम व धारा 125 लगायत 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 144 लगायत 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं आबकारी विभाग से उद्भूत ऐसे प्रकरण जो आबकारी वृत्त बड़वारा से संबंधित हैं, सभी मामले व अनुषांगिक कार्यवाही।
		2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र बरही, जिला-कटनी (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले एवं परकाम्य लिखत अधिनियम के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरणों एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियों व उपरोक्त आरक्षी केन्द्र से संबंधित धारा 125 लगायत 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 144 लगायत 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं उसकी अनुषांगिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण।
		3. आरक्षी केन्द्र बरही, जिला-कटनी (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) से उद्भूत परकाम्य लिखत अधिनियम के सभी मामले।
		4. आरक्षी केन्द्र बरही, जिला-कटनी (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त फरार हो चुका हो तथा जिनके प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो चुके हैं, उक्त सभी मामले।
		5. तहसील बरही (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) के अन्तर्गत वन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।
		6. आरक्षी केन्द्र बरही (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ।
		7. आरक्षी केन्द्र बरही (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, को छोड़कर) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम तीन वर्ष तक का है, के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ।
		8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
16.	सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी ढीमरखेडा, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान, जिला-कटनी से उत्पन्न समस्त दाण्डिक प्रकरण, उपापण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, पुलिस इस्तगासा एवं आबकारी विभाग से उद्भूत ऐसे

(जयप्रताप विडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (म.प्र.)

		प्रकरण जो आबकारी वृत्त ढीमरखेडा एवं उमरियापान से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा/खारिजी आवेदन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियों। 2. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान, जिला-कटनी के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले एवं घरेलू हिंसा अधिनियम के अन्तर्गत समस्त प्रकरण अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियों व उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों से संबंधित धारा 125 लगायत 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 144 लगायत 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं उसकी अनुषंगिक कार्यवाहियों से संबंधित प्रकरण। 3. आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान जिला-कटनी से उद्भूत परकाम्य लिखत अधिनियम के सभी मामले। 4. उपरोक्त आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान, जिला-कटनी के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त फरार हो चुका हो तथा प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो चुके हैं, उक्त सभी मामले। 5. तहसील ढीमरखेडा के अन्तर्गत वन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाही। 6. आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषंगिक कार्यवाहियां। 7. आरक्षी केन्द्र ढीमरखेडा एवं उमरियापान के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम तीन वर्ष तक का है, के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमे वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों। 8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
17.	श्रीमती प्रियंका चौहान डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़, जिला-कटनी से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरण, मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियों। 2. आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़ (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं तथा आरक्षी केन्द्र बडवारा के वे 16 गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, से उद्भूत होने वाले समस्त स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1995 से उद्भूत प्रकरण, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य अनुषंगिक कार्यवाहियों को शामिल करते हुए) के

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (म.प्र.)

		अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दांडिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियां।
	3.	तहसील विजयराघवगढ़, जिला-कटनी के अन्तर्गत नापतौल विभाग द्वारा प्रस्तुत समस्त दाण्डिक प्रकरण, तेजाब फेंकने वाले समस्त प्रकरण, दुकान स्थापना अधिनियम 1916 के तहत प्रस्तुत प्रकरण, सिनेमेटोग्राफी एक्ट एवं कॉपीराइट एक्ट के तहत प्रकरण, ड्रग एवं कॉस्मेटिक एक्ट, 1945 के तहत उद्भूत प्रकरण एवं आबकारी विभाग से उद्भूत ऐसे प्रकरण जो आबकारी वृत्त विजयराघवगढ़ एवं कैमोर से संबंधित श्रम विभाग तथा खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण।
	4.	तहसील विजयराघवगढ़, जिला-कटनी के अन्तर्गत वन विभाग एवं खनिज विभाग द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले समस्त दाण्डिक प्रकरण। (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं तथा आरक्षी केन्द्र बड़वारा के वे 16 गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, से उद्भूत होने वाले समस्त वन विभाग एवं खनिज विभाग के आपराधिक प्रकरणों को शामिल करते हुए।)
	5.	माननीय उच्च न्यायालय के ज्ञा.क्र.-डी/350/तीन-6-6/84 दिनांक 09.01.14 के अनुक्रम में एवं माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश कटनी के विविध आदेश क्र. क्यू/एस.डब्ल्यू./दो 2-2/02, दिनांक 26/12/14 के परिपालन में जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़, कैमोर, बरही (तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आने वाले ग्राम), बड़वारा (तहसील विजयराघवगढ़ व कैमोर के अन्तर्गत आने वाले ग्राम) में दर्ज होने वाले महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित अर्थात् महिलाओं के साथ घटित होने वाले समस्त प्रकार के अपराधों से संबंधित मामले से उत्पन्न उपार्पण/रिमाण्ड योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा/खारिजी आवेदन एवं कार्यवाहियाँ, साथ ही समस्त प्राईवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल हैं।
	6.	आरक्षी केन्द्र आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं से उत्पन्न होने वाले समस्त आपराधिक प्रकरण तथा आरक्षी केन्द्र बड़वारा के वे 16 गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, से उद्भूत होने वाले समस्त दांडिक प्रकरण।
	7.	उपरोक्त आरक्षी केन्द्रों के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राईवेट परिवाद, तथा उनके साथ प्रस्तुत होने वाले धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता के आवेदन परकाम्य लिखत अधिनियम, घरेलू हिंसा अधिनियम एवं धारा 125 लगायत 128 दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 144 लगायत 147 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत उद्भूत सभी मामले एवं आरक्षी केन्द्र कैमोर विजयराघवगढ़ एवं आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं एवं आरक्षी केन्द्र बड़वारा के वे 16 गाँव जो

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (म.प्र.)

		तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले में, जिसमें अभियुक्त फरार हो चुका हो तथा प्रकरण दाखिल अभिलेखागार हो चुके हैं, उक्त सभी मामले।
		8. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।
18.	श्री राजू सिंह डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)	1. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी द्वारा सुनवायी योग्य मामलों को छोड़कर <u>आरक्षी केन्द्र कैमोर, जिला-कटनी</u> से उद्भूत समस्त दाण्डिक प्रकरण, मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवायी/उपार्पण योग्य पुलिस चालान, परिवाद से संबंधित सभी आपराधिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य कार्यवाहियाँ। 2. <u>आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़ एवं कैमोर, जिला-कटनी (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं तथा आरक्षी केन्द्र बडवारा के वे 16 गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, से उद्भूत होने वाले समस्त परकाम्य लिखत अधिनियम के प्रकरण)</u> से उद्भूत <u>परकाम्य लिखत अधिनियम</u> के सभी मामले। 3. आरक्षी केन्द्र कैमोर, जिला-कटनी के अन्तर्गत उद्भूत होने वाले समस्त प्राइवेट इस्तगासा/परिवाद पत्र, जिसमें धारा 156(3) दण्ड प्रक्रिया संहिता नवीन धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत उद्भूत मामले भी शामिल हैं। 4. <u>आरक्षी केन्द्र कैमोर, जिला-कटनी</u> के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी हैं, उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 5. <u>आरक्षी केन्द्र कैमोर से उद्भूत होने वाले समस्त स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1995 से उद्भूत प्रकरण, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य अनुषांगिक कार्यवाहियों को शामिल करते हुए)</u> के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के समस्त दाण्डिक प्रकरण, खात्मा आवेदन एवं अन्य आनुषांगिक कार्यवाहियाँ। 6. <u>आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़ एवं कैमोर (आरक्षी केन्द्र बरही के वे गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं तथा आरक्षी केन्द्र बडवारा के वे 16 गाँव जो तहसील विजयराघवगढ़ के अन्तर्गत आते हैं, से उद्भूत होने वाले समस्त स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1995 से उद्भूत प्रकरण, जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम 3 वर्ष तक का है, के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियों को शामिल करते हुए)</u> के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम तीन वर्ष तक का है, के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ। 7. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी द्वारा समय-समय पर अन्तरित किये जाने वाले प्रकरण एवं आदेशित कार्य।

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

उपरोक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय की ओर अनुमोदन हेतु प्रेषित हो।

उपरोक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

सामान्य नोट :-

1. इस आदेश के निर्वहन में किसी प्रकार का भ्रम उत्पन्न होने पर मागदर्शन हेतु मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी को संदर्भित किया जावे।
2. वर्तमान कार्य विभाजन आदेश का लंबित प्रकरणों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
3. न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा व उनकी अनुपस्थिति में भाग-एक के अनुसार आवश्यक आपराधिक कार्य संपादित किया जावेगा।
4. रिमाण्ड, जमानत, उपस्थिति माफी आवेदन, वाहन/संपत्ति सुपुर्दनामा आवेदन पत्रों का निराकरण तथा संक्षिप्त विचारण शक्तियों हेतु सशक्त होने पर समरी प्रक्रिया के विचारणीय ऐसे प्रकरणों के चालान जिसमें अभियुक्त दोषसिद्धि का अभिवाक् करना चाहता है का निराकरण कार्यविभाजन पत्रक अनुसार संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।
5. आवश्यक कार्य देख रहे मजिस्ट्रेट यदि संक्षिप्त विचारण करने हेतु सशक्त हों, तो अन्य न्यायालय के ऐसे मामलों का भी निराकरण कर सकेंगे जो समरी प्रक्रिया के तहत विचारणीय हो एवं अभियुक्त अन्य जिले का निवासी हो तथा वारंट या गिरफ्तार करके लाया गया हो एवं दोषी होने के अभिवाक् करने का आवेदन करे, तब ऐसे प्रकरण के अभिलेख पश्चात में मूल न्यायिक मजिस्ट्रेट के अभिलेख पर वापस होगा।
6. आकस्मिकता की अवस्था में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा मजिस्ट्रेट की रिमाण्ड ड्यूटी में परिवर्तन किया जावेगा।
7. कटनी जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित अपराधों के बारे में धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अपराधी की संस्वीकृति या साक्षियों के कथन भाग-तीन में वर्णित मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जावेंगे।
8. समस्त आरक्षी केंद्रों से उद्भूत खात्मा (F.R.) के समस्त प्रकरण संबंधित क्षेत्राधिकारिता वाले न्यायालय में पेश किये जायेंगे।
9. प्रत्येक न्यायिक मजिस्ट्रेट अपने-अपने क्षेत्राधिकार वाले आरक्षी केंद्र के अन्तर्गत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से चलित न्यायालय लगा सकेंगे और ऐसे न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिन्हें कोई आरक्षी केंद्र आवंटित नहीं है और उन्हें समरी पॉवर है, वे भी मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से संपूर्ण जिले में कहीं भी चलित न्यायालय लगा सकेंगे।
10. कटनी जिले के आरक्षी केंद्रों से उद्भूत खारिजी (E.R.) के समस्त प्रकरण मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी के समक्ष पेश किये जाएंगे।
11. सभी आरक्षी केंद्रों से उद्भूत आबकारी अधिनियम के सभी मामले उन्हीं आरक्षी केंद्रों की क्षेत्राधिकारिता के मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए जाएंगे।
12. भाग-2, भाग-3 भाग-4 कार्यविभाजन के अंग समझे जाएंगे।
13. न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जो कटनी से स्थानान्तरित हो चुके हैं अथवा आगे कार्य विभाजन आदेश पश्चात् स्थानान्तरित होते हैं और उनका न्यायालय रिक्त होने की दशा में उक्त न्यायालय से संबंधित दाण्डिक रिमाण्ड एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरण, स्थाई वारंट, मांग पत्र एवं अन्य अनुषंगिक कार्यवाहियों का निष्पादन एवं सम्पादन अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा निम्नानुसार किया जायेगा :-


(जयप्रताप चिड्कर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (स.प्र.)

क्र०	अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम	आवश्यक कार्य देखने की अवधि
1	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अप्रैल 2025
2	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	मई 2025
3	श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म.प्र.)	जून 2025
4	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म.प्र.)	जुलाई 2025
5	श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अगस्त 2025
6	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	सितम्बर 2025
7	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अक्टूबर 2025
8	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	नवम्बर 2025
9	श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	दिसम्बर 2025
10	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	जनवरी 2026
11	सुश्री सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	फरवरी 2026
12	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	मार्च 2026
13	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अप्रैल 2026

नोट:- 1. स्थाई वारंट के आरोपी/आरोपीगण को न्यायालय में पेश किये जाने पर उसके प्रकरण में पुनः कार्यवाही आरंभ किए जाने बावत् निर्धारित की गई व्यवस्था केवल रिक्त चल रहे न्यायालयों के संदर्भ में लागू होगी। स्थाई वारंट जारीकर्ता न्यायालय रिक्त नहीं होने की स्थिति में उक्त न्यायालय के वर्तमान पीठासीन अधिकारी द्वारा ही स्थाई वारंट से संबंधित प्रकरण में पुनः विचारण आरंभ किया जावेगा।

2. तहसील न्यायालय बरही एवं ढीमरखेड़ा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण आदि हो जाने की स्थिति में उक्त न्यायालय से संबंधित दाण्डिक रिमाण्ड एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरण, मांग पत्र एवं अन्य अनुषंगिक कार्यवाहियों का निष्पादन एवं सम्पादन वर्तमान में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा तथा उनके अवकाश या न्यायालय रिक्त होने की दशा में इनचार्ज न्यायालय द्वारा उक्त कार्य का संपादन किया जावेगा।

3. तहसील न्यायालय विजयराघवगढ़ में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेटगण का स्थानांतरण आदि हो जाने की स्थिति में उक्त न्यायालय से संबंधित दाण्डिक रिमाण्ड एवं अपीलीय न्यायालय से प्राप्त प्रकरण, मांग पत्र एवं अन्य अनुषंगिक कार्यवाहियों का निष्पादन एवं सम्पादन तहसील विजयराघवगढ़ में पदस्थ जूनियर मजिस्ट्रेट द्वारा किया जावेगा।

4. जिला कटनी के समस्त आरक्षी केन्द्रों (विजयराघवगढ़, कैमोर, ढीमरखेड़ा, बरही, उमरियापान को छोड़कर) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले **स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995** जिसमें सजा का प्रावधान अधिकतम तीन वर्ष तक का है, के अन्तर्गत पूर्व से उद्भूत ऐसे मामले जिसमें अभियुक्त का स्थाई वारंट जारी है उसमें वारंटी के प्रस्तुत होने पर की जाने वाली समस्त कार्यवाहियाँ भी सामान्य नोट क्रमांक-13 की सारणी एवं उसकी नोट क्रमांक-1 लगायत 3 के अनुसार ही की जावेंगी।

14. धारा 194 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अंतर्गत उद्भूत मृत्यु जांच एवं अन्य न्यायिक जांच से संबंधित मामलों में कार्यवाही किए जाने बावत् निम्नलिखित न्यायिक मजिस्ट्रेटगण को नामांकित किया जाता है :-

क्र०	अधिकृत न्यायिक मजिस्ट्रेटों का नाम	मृत्यु जांच से संबंधित मामलों में कार्यवाही किए जाने की अवधि
1	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अप्रैल 2025

(जयप्रताप चिडार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

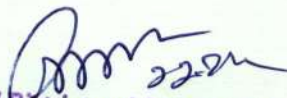
2	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	मई 2025
3	श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म.प्र.)	जून 2025
4	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म.प्र.)	जुलाई 2025
5	श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अगस्त 2025
6	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	सितम्बर 2025
7	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अक्टूबर 2025
8	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	नवम्बर 2025
9	श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	दिसम्बर 2025
10	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	जनवरी 2026
11	सुश्री सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	फरवरी 2026
12	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	मार्च 2026
13	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी (म.प्र.)	अप्रैल 2026

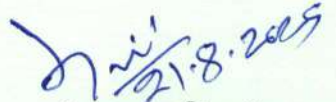
नोट:- 1. उपरोक्त आदेश माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के अनुमोदन पश्चात से आगामी आदेश तक प्रभावी रहेगा।

2. दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त हो जाने की स्थिति में उनके न्यायालय की इनचार्ज न्यायालय कार्यविभाजन आदेश (भाग-दो) के कॉलम नं. 02 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति या अवकाश में रहने पर कॉलम नं. 03 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति या अवकाश में रहने पर नं. 04 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति या अवकाश में रहने पर कॉलम नं. 05 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट उक्त कार्य का संपादन करेंगे।

3. कार्य विभाजन आदेश (भाग-दो) के कॉलम 2, 3, 4 एवं 5 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने पर वरिष्ठता क्रम में वर्णित अन्य उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके आवश्यक कार्य को संपादित करेंगे।

15. माननीय उच्च न्यायालय म.प्र. जबलपुर के पृष्ठांकन क्रमांक-B/4099 Jabalpur, dated-04-09-2024 एवं मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग की अधिसूचना भोपाल, दिनांक 02/09/2024 के परिपालन में कुटुंब न्यायालय कटनी के क्षेत्राधिकारिता (केन्टोनमेंट क्षेत्र, यदि कोई हो, को सम्मिलित करते हुए नगर निगम/नगर पालिका की सीमाएं एवं जिला मुख्यालय की तहसील की सीमाएं) को छोड़कर कटनी जिले के अन्य आरक्षी केंद्रों से धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता से उद्भूत मामलों की सुनवाई संबंधित आरक्षी केंद्र के मजिस्ट्रेट के न्यायालय में की जाएगी।


Principal District and Session's Judge
KATNI (M.P.)


(जयप्रताप चिडार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

**कार्यालय :- जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी जिला—
कटनी (म0प्र0)**

::: संशोधित दाण्डिक कार्य विभाजन – विविध आदेश :::

(भाग-2)

क्रमांक क्यू / सी0जे0एम0 / 2025

कटनी, दिनांक— 21.08.2025

मैं, जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी कार्य विभाजन पत्रक अनुसार कॉलम नं. 01 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश/अनुपस्थिति अथवा न्यायालय रिक्त हो जाने की स्थिति में कॉलम नं. 02 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनकी अनुपस्थिति या अवकाश में रहने पर कॉलम नं. 03 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट तथा उनके अवकाश पर रहने पर कॉलम नं. 04 में वर्णित न्यायिक एवं उनके अवकाश पर रहने पर कॉलम नं. 05 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट आवश्यक कार्य संपादित करेंगे :-

क्र	कॉलम नं0-1	कॉलम नं0-2	कॉलम नं0-3	कॉलम नं0-4	कॉलम नं0-5
1	जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कटनी	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
2	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री विनोद कुमार चौधरी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
3	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
4	श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
5	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
6	श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
7	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अजय कुमार नागेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
8	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्री अजय कुमार नागेश न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

(जयप्रताप चिडार)

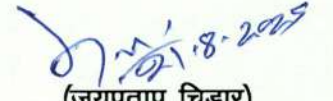
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (न.प्र.)

क	कॉलम नं०-1	कॉलम नं०-2	कॉलम नं०-3	कॉलम नं०-4	कॉलम नं०-5
1	(रिक्त न्यायालय) प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

3. कॉलम 2, 3, 4 एवं 5 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने पर या न्यायालय रिक्त हो जाने की दशा में (मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को छोड़कर) वरिष्ठता क्रम में वर्णित अन्य उपलब्ध न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके आवश्यक कार्य को संपादित करेंगे।


Principal District and Session's Judge
KATNI (M.P.)


(जयप्रताप चिडार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म.प्र.)

**कार्यालय :- जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी जिला-
कटनी (म0प्र0)**

::: संशोधित दाण्डिक कार्य विभाजन – विविध आदेश :::

(भाग-3)

क्र./क्यू /सी0जे0एम0 /2025

कटनी, दिनांक-21.08.2025

धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन हेतु

कटनी जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केन्द्रों में धारा **183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता** के अन्तर्गत कथन लेने हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है:-

कॉलम नं0-1 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत कथन कॉलम नं0-2 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट लेंगे कॉलम नं0-2 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थित रहने की दशा में कॉलम नं0-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कॉलम नं0-3 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थित रहने की दशा में कॉलम नं0-4 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं कॉलम नं0-4 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश या अनुपस्थित रहने की दशा में भी कॉलम नंबर- 5 में वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट कमानुसार धारा 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत कथन लेंगे:-

क.	कॉलम नं0-1	कॉलम नं0-2	कॉलम नं0-3	कॉलम नं0-4	कॉलम नं0-5
1	आरक्षी केन्द्र कोतवाली कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
2	आरक्षी केन्द्र माधवनगर	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
3	आरक्षी केन्द्र कुठला	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
4	आरक्षी केन्द्र एन.के.जे.	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
5	आरक्षी केन्द्र बहोरीबंद	सुश्री चेतना झारिया न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
6	आरक्षी केन्द्र जी.आर.पी.	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
7	आरक्षी केन्द्र बडवारा	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (ज.प्र.)

8	आरक्षी केन्द्र स्लीमनाबाद	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
9	आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
10	आरक्षी केन्द्र बाकल	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
11	आरक्षी केन्द्र रीठी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
12	आरक्षी केन्द्र महिला थाना	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
13	जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र कोतवाली (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/ बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन (विजयराघवगढ़ व दीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
14	जिला कटनी के आरक्षी केन्द्र एन.के.जे., स्लीमनाबाद एवं माधवनगर (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/ बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन (विजयराघवगढ़ व दीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से	सुश्री रेनू श्रीवास्तव न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

जिला कटनी (न.प्र.)

	उद्भूत मामलों को छोड़कर)				
15	आरक्षी केन्द्र कुठला, जी0आर0पी0 एवं अजाक (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/ बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) एवं आरक्षी केन्द्र अजाक से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन (विजयराघवगढ़ व ढीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
16	आरक्षी केन्द्र रंगनाथनगर, बड़वारा, शीठी, बहोरीबंद, बाकल (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/ बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन (विजयराघवगढ़ व ढीमरखेड़ा बरही तहसील क्षेत्र के पुलिस थाने वाले क्षेत्र से उद्भूत मामलों को छोड़कर)	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
17	आरक्षी केन्द्र कैमोर एवं बरही (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/ बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन (पुलिस थाना विजयराघवगढ़ के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत मामलों को छोड़कर)	श्रीमति प्रियंका चौहान डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	सुश्री गुंजन गौड़, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी

(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प्र.)

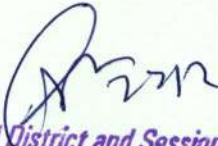
18	आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़ (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन (पुलिस थाना कैमोर एवं बरही के क्षेत्रांतर्गत उद्भूत मामलों को छोड़कर)	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
19	आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा, उमरियापान (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत कथन	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
20	आरक्षी केन्द्र विजयराघवगढ़ से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत के कथन।	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
21	आरक्षी केन्द्र कैमोर से उद्भूत धारा 183 भा.ना.सु.सं. के अन्तर्गत के कथन।	श्रीमति प्रियंका चौहान डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी
22	आरक्षी केन्द्र बरही	श्रीमति प्रियंका चौहान डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, वि.गढ़, कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी
23	आरक्षी केन्द्र ढीमरखेड़ा, उमरियापान	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी कटनी

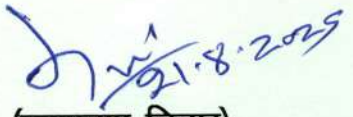
नोट:- 1. कॉलम 2, 3, 4 एवं 5 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने पर अंतिम वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में उनके इनचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट उनके क्रम में उनके आवश्यक कार्य को संपादित करेंगे।

2. (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) में महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध किए जाएंगे।


(जयप्रताप चिडार)
 मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
 जिला कटनी (ग.प्र.)

3. कॉलम 2, 3, 4 एवं 5 के न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर या अनुपस्थित रहने पर अंतिम वर्णित न्यायिक मजिस्ट्रेट के अवकाश पर रहने की दशा में स्थापना में उपस्थित वरिष्ठता कम में वर्णित अन्य उपलब्ध महिला न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा ही (ऐसे अपराध जो केवल महिलाओं के विरुद्ध ही हो सकते हैं तथा अवयस्क बालक/बालिकाओं (पॉक्सो एक्ट) से संबंधित समस्त मामलों) 183 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कथन लेखबद्ध किए जाएंगे।


Principal District and Session's Judge
KATNI (M.P.)


(जयप्रताप चिडार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
कटनी (म०प्र०)

**कार्यालय :- जयप्रताप चिडार, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कटनी जिला-
कटनी (म0प्र0)**

**... संशोधित दाण्डिक कार्य विभाजन - विविध आदेश ...
(भाग-4)**

क्र./क्यू /सी0जे0एम0 / 2025

कटनी, दिनांक-21.08.2025

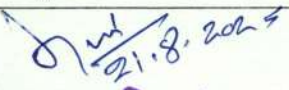
धारा 52ए स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 की कार्यवाही हेतु

कटनी जिले के समस्त न्यायिक मजिस्ट्रेटों के क्षेत्राधिकारिता के आरक्षी केन्द्रों में धारा 52ए स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु निम्नानुसार व्यवस्था की जाती है:-

कॉलम नं0-2 में दर्शित आरक्षी केन्द्र के धारा 52ए स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्यवाही कॉलम नं0-3 में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट करेंगे एवं उनके अनुपस्थित या अवकाश पर रहने की दशा में कार्यविभाजन पत्रक के भाग-दो में वर्णित क्रमानुसार इनचार्ज न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा 52ए स्वापक औषधियों एवं मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत कार्यवाही किया जाएगा।

(कॉलम नंबर-1) क्रमांक	(कॉलम नंबर-2) आरक्षी केंद्र का नाम	(कॉलम नंबर-3) न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम
1	कोतवाली कटनी	श्री अजय कुमार नागेश, जे.एम.एफ.सी. कटनी
2	माधवनगर	श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, जे.एम.एफ.सी. कटनी
3	कुठला	श्री विनोद कुमार चौधरी, जे.एम.एफ.सी. कटनी
4	एन.के.जे.	श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, जे.एम.एफ.सी. कटनी
5	बहोरीबंद	सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, जे.एम.एफ.सी. कटनी
6	जी.आर.पी.	सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, जे.एम.एफ.सी. कटनी
7	बड़वारा	सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. कटनी
8	स्लीमनाबाद	सुश्री अर्पिता शुक्ला, जे.एम.एफ.सी. कटनी
9	रंगनाथनगर	सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, जे.एम.एफ.सी. कटनी
10	बाकल	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, जे.एम.एफ.सी. कटनी
11	रीठी	सुश्री गुंजन गौड, जे.एम.एफ.सी. कटनी
12	महिला थाना	सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, जे.एम.एफ.सी. कटनी
13	अजाक	श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, जे.एम.एफ.सी. कटनी
14	ढीमरखेड़ा	सुश्री चेतना झारिया, जे.एम.एफ.सी. कटनी
15	उमरियापान	श्री अजय कुमार नागेश, जे.एम.एफ.सी. कटनी
16	विजयराघवगढ़	श्री राजू सिंह डाबर, जे.एम.एफ.सी. कटनी
17	कैमोर	श्रीमती प्रियंका चौहान डाबर, जे.एम.एफ.सी. कटनी
18	बरही	श्री राजू सिंह डाबर, जे.एम.एफ.सी. कटनी


Principal District and Session's Judge
KATNI (M.P.)


(जयप्रताप चिडार)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म.प.)

प्रतिलिपि :-

01. माननीय रजिस्ट्रार जनरल महोदय, माननीय उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर (म0प्र0) की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित ।
02. माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय, कटनी (म0प्र0) की ओर सादर प्रेषित ।
03. श्रीमती मनीषा (जैन) तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
04. श्रीमती रेनू श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
05. श्रीमती स्मृति पटेल, न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, जिला कटनी (म0प्र0)
06. श्री नृपेन्द्र सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
07. रिक्त न्यायालय, प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट किशोर न्याय बोर्ड, कटनी (म0प्र0)
08. श्री विनोद कुमार चौधरी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
09. सुश्री गुंजन गौड, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
10. सुश्री चेतना झारिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
11. सुश्री सिल्की कौर जुनेजा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
12. श्री अजय कुमार नागेश, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
13. सुश्री दीक्षा सिंह राठौर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
14. अर्पिता शुक्ला, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
15. सुश्री चित्रांगदा मण्डलोई, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
16. सुश्री प्रीतिबाला मुणिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, कटनी (म0प्र0)
17. सुश्री विजयश्री सूर्यवंशी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बरही, कटनी (म0प्र0)
18. श्रीमति प्रियंका चौहान डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)
19. श्री राजू सिंह डावर, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, विजयराघवगढ़, कटनी (म0प्र0)
20. सुश्री पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, ढीमरखेड़ा, कटनी (म0प्र0)
21. जिला मजिस्ट्रेट, जिला कटनी (म0प्र0),
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
22. पुलिस अधीक्षक, कटनी (म0प्र0),
की ओर, समस्त आरक्षी केन्द्र के प्रभारी को संशोधित दांडिक कार्य विभाजन आदेश वर्ष 2025 के संबंध में संसूचित कराया जाने हेतु प्रेषित ।
23. अध्यक्ष/सचिव, अधिवक्ता संघ कटनी (म0प्र0),
24. अध्यक्ष/सचिव, तहसील अधिवक्ता संघ विजयराघवगढ़/बरही/ढीमरखेड़ा,
की ओर सभी अधिवक्तागण को अवगत कराये जाने बावत् सूचनार्थ प्रेषित ।
25. लोक अभियोजक/विशेष/अपर लोक अभियोजक कटनी (म0प्र0),
26. जिला अभियोजन अधिकारी कटनी,
27. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट कटनी,
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित ।



(जयप्रताप चिडार)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कटनी (म0प्र0)